596-650

पत्रांक 596-650/11-अवि5:/कोर्ट केस/ उद्योग निदेशालय, उ.प्र.,
(अनुभाग-11)
दिनांक/कानपुर/मई, 15, 1993

समस्त महा प्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,

================

निदेशालय स्तर पर यह अनुभव किया जा रहा है कि औद्योगिक आस्थानों के सम्बन्ध में काफी वाद विभिन्न न्यायालयों में काफी समय से लम्बित हैं, और उनके सम्बन्ध में प्रभावी पैरवी करके वादों के निस्तारण कराने की दिशा में आप द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है। इस सम्बन्ध में आपको कार्यवाही करने हेतु निम्न दिशा निर्देश इस आशय से दिये जा रहे हैं कि आप इनके अनुसार कार्यवाही कर वादों को निपटाने की कार्यवाही करेंगे :-

1- औद्योगिक आस्थानों में भूखन्ड आवन्टन से पूर्व यह प्रयास किये जायें कि भूखन्ड ऐसे उपयुक्त उद्यमियों के हित में आवन्टित किये जायें जो वास्तव में उद्योग की स्थापना के लिये प्रतिबद्ध हों। आवन्टन के साथ उद्यमी को उद्योग की स्थापना हेतु उद्योग विभाग तथा अन्य संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से पूर्णतया अवगत कराया जाय और जिला उद्योग केन्द्र में इस सम्बन्ध में कोई मार्ग दर्शिका/ब्रोच्योर बनाया गया हो तो उसकी एक प्रति उद्यमी को दी जाय।

2- आवन्टन के बाद उद्यमी से निकट का सम्बन्ध रखा जाय और उद्योग स्थापना के सम्बन्ध में उसे हर सम्भव सहायता दी जाय।

3- आप द्वारा उपरोक्तानुसार पूर्ण सहयोग दिये जाने के बाद भी यदि उद्यमी द्वारा औद्योगिक आस्थान में आवन्टित भूखन्ड/शैड पर उद्योग की स्थापना में कोई रुचि न ली जा रही हो तो उसको एक नोटिस दिया जाय कि यदि आवन्टी द्वारा लीज़ डीड की धाराओं के अनुरूप उद्योग स्थापना की दिशा में कार्यवाही नहीं की गई तो आवन्टित भूखन्ड/शैड निरस्त किया जा सकता है। यदि उद्यमी से निर्धारित अवधि के अन्दर कोई सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो उसे एक-एक माह के बाद दो नोटिस और दिये जायें, और यदि फिर भी उद्यमी द्वारा कोई रुचि नहीं ली जाती है तो उद्यमी के पक्ष में आवन्टित भूखन्ड के निरस्तीकरण का प्रस्ताव जिला प्राधिकृत समिति में रखा जाय और उसके सम्बन्ध में आवन्टी को भी सूचित किया जाय ताकि वह अपना पक्ष जिला प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सके, और यदि अन्ततः

(क्रमशः ----- 2)

भूखण्ड को निरस्त करने का निर्णय लिया जाता है तो उक्त निर्णयानुसार आवन्टी को भूखण्ड के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में पंजीकृत डाक द्वारा सूचित किया जाय और उसके उत्तर की प्रतीक्षा कम से कम एक माह तक की जाय, तदोपरान्त ही निरस्त किये गये भूखण्ड का आवन्टन किसी अन्य उद्यमी के पक्ष में किया जाय।

3– यदि औद्योगिक आस्थान में उद्यमी द्वारा आवन्टित भूखण्ड पर उद्योग स्थापित करने की दिशा में कोई कार्यवाही प्रारम्भ की गई है, और कतिपय कारणों से उद्योग स्थापना में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे मामलों में महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को उद्यमी से सम्पर्क कर उद्योग स्थापना के मार्ग में उद्यमी द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाईयों का निराकरण कराना चाहिये, और यदि फिर भी उद्यमी द्वारा उद्योग न लगाया जा सके तो भूखण्ड का आवन्टन रद्द करने से पूर्व उद्यमी को यह अवसर दिया जाना चाहिये कि वह उक्त भूखण्ड को किसी अन्य उद्यमी के साथ साझेदारी करके उस पर उद्योग स्थापित कर सके अथवा वह किसी ऐसे उद्यमी का चयन कर ले जिसके पक्ष में उस भूखण्ड का ~~[illegible]~~ हस्तान्तरण किया जा सके, और यदि ऐसे भूखण्ड का प्रस्ताव जिला उद्योग केन्द्र में प्राप्त होता है तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

यदि उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाती है तो सम्भव है कि औद्योगिक आस्थानों में उपलब्ध भूखण्ड/शेड के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में दायर होने वाले वादों की संख्या में पर्याप्त कमी आयेगी, फिर भी यदि किन्हीं मामलों में वाद दायर हो जाता है तो उनमें निम्नानुसार कार्यवाही की जाय।

4– यदि किसी आवन्टी का भूखण्ड/शेड निरस्त किया गया है और उसके विरुद्ध आवन्टी द्वारा न्यायालय में वाद दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त किये गये हैं तो ऐसे मामलों में आप आवन्टी को बुला कर बात करें, और यदि आवन्टी उद्योग की स्थापना करने/उद्योग को चलाने तथा विभाग के देयों का भुगतान आदि करने को तैयार है तो ऐसे मामलों में भूखण्ड के पुनर्जीवीकरण की कार्यवाही नियमानुसार की जा सकती है, क्योंकि वाद के रहते निरस्त किये गये भूखण्ड/शेड का कब्जा विभाग को प्राप्त नहीं हो पाता और न ही भूखण्ड/शेड से किश्तों की अदायगी हो पाती है, और यदि कब्जा मिल भी जाय तो भी भूखण्ड का आवन्टन जिस किसी नये उद्यमी के पक्ष में किया जायेगा, वह भी उद्योग स्थापित करने के लिये पर्याप्त समय लेगा।

[क्रमश: – – – – – – 3]

2- यदि औद्योगिक आस्थानों में किसी भूखान्ड का आवन्टन निरस्त करके किसी अन्य उद्यमी को भूखान्ड का आवन्टन कर दिया गया है और इस प्रकार विभाग और पार्टियों के बीच विवाद खड़ा हो गया है तो ऐसे मामलों में आप उभय पक्षों अर्थात दोनों पार्टियों को कार्यालय में बुला कर बात कर लें। यदि विवाद एक से अधिक भूखान्डों के सम्बन्ध में है तो दोनों पार्टियों को विवादित भूखान्ड में से आधे-आधे भूखान्ड आवन्टित करके अलग-अलग लीज़ डीड निष्पादित करा कर कब्जा दे दिया जाय ताकि दोनों पार्टियां अपने-अपने भूखान्ड/शैड पर उद्योग स्थापित कर सकें। और यदि यह सम्भव न हो तो उनमें से किसी एक पार्टी को औद्योगिक आस्थान में कोई ऐसा दूसरा भूखान्ड आवन्टित कर दिया जाय जिस पर कोई विवाद न हो ताकि दोनों इकाईयां अपना-अपना उद्योग स्थापित कर सकें।

3- यह भी देखने में आया है कि आप द्वारा जिन भूखान्ड/शैड के आवन्टियों के साथ आवन्टन को लेकर कोई विवाद हो जाता है तो उसको यथास्थिति में छोड़ते हुये औद्योगिक आस्थानों में अन्य निरस्त किये गये भूखान्डों का आवन्टन नये उद्यमियों के पक्ष में करते रहते हैं, और पुराने उद्यमी जिसके पक्ष में पहले भूखान्ड/शैड आवन्टित किया जा चुका था, और कतिपय कारणों से विवादग्रस्त हो गया है, उन्हें आवन्टन करते समय छोड़ देते हैं। अत: औद्योगिक आस्थानों में निरस्त किये गये भूखान्डों/शैडों को पहले उस आवन्टी को आफ़र किया जाय जिसके पक्ष में पूर्व आवन्टित भूखान्ड/शैड विवादग्रस्त हो गया है, और ऐसे पूर्व आवन्टी द्वारा भूखान्ड/शैड को लेने से लिखित रूप से इन्कार करने के बाद ही किसी नये उद्यमी को भूखान्ड/शैड के आवन्टन पर विचार करें।

4- औद्योगिक आस्थानों में विवाद के सम्बन्ध में एक रजिस्टर बना लिया जाय जिसमें समस्त विवादों का विवरण अंकित हो और विवादों की पैरवी प्रभावी ढंग से की जाय।

5- यदि औद्योगिक आस्थानों में कोई भूखान्ड/शैड आवन्टन हेतु रिक्त न हो तो भूखान्ड/शैड के आवन्टन के सम्बन्ध में किसी भी उद्यमी का प्रार्थना पत्र स्वीकार न किया जाय, क्योंकि प्रार्थना पत्र शुल्क जमा कराने से आवेदक औद्योगिक आस्थान में भूखान्ड मिलने की प्रतीक्षा करने लगता है।

-: कार्यालय ज्ञाप :-

जिला योजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक आस्थानों के रखरखाव एवं विद्युत व्यवस्था हेतु प्राप्त धनराशि के उपभोग के लिए महाप्रबन्धकों द्वारा विकास संस्थाओं से आगणन तैयार कराकर उद्योग निदेशालय को अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रेषित किए जाते हैं ।

निदेशालय के वर्तमान उदारीकरण एवं विकेन्द्रीयकरण नीति के परिप्रेक्ष्य में जिला योजनान्तर्गत (औद्योगिक आस्थानों के रखरखाव एवं फीडर लाइन मद में) प्राप्त धनराशि के व्यय एवं आगणन अनुमोदन के अधिकारों का विकेन्द्रीकरण मण्डल स्तर पर नियुक्त अपर / संयुक्त निदेशक उद्योग में प्रतिनिधानित किये जाते हैं ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त आगणनों को मण्डलीय अपर / संयुक्त निदेशक उद्योग से अनुमोदन कराते हुए अनुमोदनोपरान्त एक प्रति निदेशालय के सम्बन्धित अनुभाग, एक प्रति महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, तथा तीसरी प्रति सम्बन्धित विकास संस्था को भेजना सुनिश्चित करें ।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश।

उद्योग निदेशालय, उ0प्र0,
अवस्थापना विकास प्रभाग-II,
कानपुर

संख्या 4931-35/II-अवि0-शिकोहाबाद
कानपुर: दिनांक: मार्च 19, 1993.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त परिक्षेत्रीय अपर / संयुक्त निदेशक उद्योग, उ0प्र0
2- समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उ0प्र0
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम, उ0प्र0, कानपुर
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 लघु उद्योग निगम, फजलगंज, कानपुर
5- संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उद्योग अनुभाग-2, एनेक्सी भवन, लखनऊ ।

(जे. पी. जैन)
उप निदेशक उद्योग,
कृते-उद्योग निदेशक, उ0प्र0